छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़)

CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. CMDC

सेवा एवं भर्ती नियम–2014

यथा संशोधित–2020

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा एवं भर्ती नियम–2014 यथा संशोधित–2020

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

   (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा एवं भर्ती नियम – 2014 यथा संशोधित 2020" कहलायेंगे।

   (2) ये नियम आदेश जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं :– इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों :**

   (1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य,

   (2) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल,

   (3) शासन से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

   (4) "विभाग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का खनिज साधन विभाग,

   (5) "सामान्य प्रशासन विभाग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग,

   (6) "निगम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,

   (7) "संचालक मंडल" (बोर्ड) से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का संचालक मंडल,

   (8) "प्रबंध संचालक" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा नामित एवं संचालक मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी,

   (9) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवा से है।

   (10) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा एवं भर्ती नियम–2020,

   (11) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिन्हें छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल द्वारा उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो अथवा इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सौंपी जाए।

   (12) उपनियम 12 **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है सीधी भती के लिये निम्नानुसार गठित समिति :

   (अ) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी के चयन हेतु –

Upendra Kumar

(1)	प्रबंध संचालक	–	अध्यक्ष
(2)	उप सचिव/संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग	–	सदस्य
(3)	अनुसूचित जाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(4)	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(5)	अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(6)	महिला सदस्य	–	सदस्य
(7)	मुख्य महाप्रबंधक	–	सदस्य सचिव

(ब) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन हेतु –

(1)	प्रबंध संचालक	–	अध्यक्ष
(2)	उप सचिव/संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग	–	सदस्य
(3)	अनुसूचित जाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(4)	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(5)	अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(6)	महिला सदस्य	–	सदस्य
(7)	मुख्य महाप्रबंधक	–	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति में आवश्यक होने पर एक सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग में से हो तो पृथक से समिति में सदस्य रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(13) उप नियम–13 **"पदोन्नति समिति"** से अभिप्रेत है, पदोन्नति हेतु निम्नानुसार गठित समिति –

(अ) तृतीय श्रेणी कर्मचारी से द्वितीय श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी से प्रथम श्रेणी अधिकारी एवं प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु :

(1)	प्रबंध संचालक	–	अध्यक्ष
(2)	उप सचिव/संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग	–	सदस्य
(3)	अनुसूचित जाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(4)	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(5)	अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(6)	महिला सदस्य	–	सदस्य

(ब) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु :

(1)	प्रबंध संचालक	–	अध्यक्ष
(2)	उप सचिव/संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग	–	सदस्य
(3)	अनुसूचित जाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(4)	अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(5)	अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य	–	सदस्य
(6)	महिला सदस्य	–	सदस्य

उपरोक्त समिति में आवश्यक होने पर एक सदस्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नाम निर्दिष्टि सदस्यों में से यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में से हों, तो पृथक से समिति में रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(14) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(15) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(16) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना कमांक 8–5 पच्चीस 4–84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा यथा निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग,

(17) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

(18) ''आचरण नियम'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किया गया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी किये गए संशोधन,

3. नियमों का विस्तार तथा लागू होना :

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्त नियम 1961 सेवा के अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवाओं का गठन : सेवाओं में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवा में भर्ती किये गये हों और

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सेवा में भर्ती किये जाएं।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि :**

वेतनमान का वर्गीकरण तथा उससे संलग्न सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

परन्तु शासन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड समय समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि अथवा कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका :**

Upendra Kumar

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा
(ख) पदोन्नति द्वारा
(ग) प्रतिनियुक्ति द्वारा
(घ) संविलियन द्वारा

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गए पदों की संख्या/प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालक मंडल के परामर्श से निश्चित की जाएगी।

(4) उप नियम–(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा अपेक्षित हो, तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती सम्बन्धी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उप नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो कि वह इस संबंध में जारी किये गए आदेश द्वारा निर्धारित करें।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये चयन समिति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगी। यह भी कि समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के साथ साथ अथवा पृथक से अन्य युक्तिसंगत मापदण्डों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन संचालक मंडल की अनुमति से किया जा सकेगा।

(6) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवाओं में नियुक्ति :** इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियॉं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी नियुक्तियां नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता सम्बन्धी शर्तें :** चयन किये जाने की पात्रता के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात –

(1) आयु :

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी 01 जनवरी को अनुसूची–तीन के कालम–5 में विहित आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कालम–6 में विहित आयु पूरी न की हो।

(ख) सीधी भर्ती के समस्त पदों पर राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आयु सीमा की

छूट दी जावेगी।

(ग) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) का हो तो, उच्चतर आयु सीमा में अधिक से अधिक 05 वर्षो तक की छूट दी जाएगी।

(घ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के नियम–4 के उपबन्धों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो छत्तीसगढ़ शासन/निगम/मंडल के नियमित, स्थाई, अस्थाई, संविदा के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तो के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी अर्थात –

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन का स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा है और अन्य पद के लिये आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह छूट आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्च आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

(i) स्पष्टीकरण :– शब्द "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिविहित है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की निरन्तर कालावधि तक रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(ii) स्पष्टीकरण :– सीधी भर्ती के कुछ पदों में अधिकतम आयु सीमा 40 एवं 45 वर्ष तक दी गई है जो उन पदों हेतु वांछित अनुभव एवं अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, परन्तु आयुसीमा संबंधित सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थी, को जो "भूतपूर्व सैनिक" है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्च आयु सीमा से 03 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

Upendra Kumar

स्पष्टीकरण : शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिविहित है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित कर दिया गया था –

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त किये गए हैं।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया है और जिन्हें – (क) अल्पावधि के बचनबंध पूर्ण हो जाने पर और (ख) भर्ती की शर्ते पूर्ण कर लेने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया है।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी आते हैं, जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया है।

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य लेने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया है।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।

(च) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण पार्टनर को उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिये उच्च आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मण्डल के कर्मचारियों को उच्च आयु सीमा में 38 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के अनायुक्त (नानकमीशन्ड) अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्व में की गई नगर सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षो के बराबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा 08 वर्ष होगी अर्थात ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/अनायुक्त अधिकारी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

टीप – उपर्युक्त उप नियम–एक (ड.) के (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी छूट के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो, वे यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जावेगी। विभागीय अभ्यर्थी को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(ञ) किसी भी उम्मीदवार को उपरोक्तानुसार किसी भी एक आधार या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(2) **अर्हताएं** : अभ्यर्थी के पास ऐसी अर्हताएं होनी चाहिये, जो अनुसूची–तीन एवं चार में संदर्भित पद के लिये विहित की गई है। अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में विशेष परिस्थितियों में अर्हता शिथिल करने का अधिकार संचालक मंडल को होगा।

(3) **फीस** : अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता :**

अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी अनुचित साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके परीक्षा/चयन में प्रवेश के संबंध में निरर्हता के रूप में माना जाएगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा :**

परीक्षा में बैठने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

11. **सीधी भर्ती की प्रकिया :**

(1) चयन समिति द्वारा सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों, जैसा कि चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, के द्वारा किया जाएगा ।

(2) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये पद आरक्षित किये जाएंगे।

(3) उप नियम (2) के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरने में नियुक्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम–12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जाएगा, चाहे मूल सूची की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 (तीस) प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

(6) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव, आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को संचालक मंडल के परामर्श से शिथिल कर सकेगा।

12. चयन समिति द्वारा अनुशंसित किये गये अभ्यर्थियों की सूची :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति द्वारा निश्चित किये गये ऐसे मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की सूची योग्यता क्रम से बनाएगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, बनायेगा। यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गए नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये गठित समिति परिभाषित है।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों पर होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं हो।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया उप नियम 3 में उल्लिखित नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार रहेगी।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता सम्बंधी शर्तें :

(1) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

Upen L kumar

(2) उप नियम–1 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जो शासन के नियमों के अन्तर्गत विचारण क्षेत्र में आते हों तथा जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) वह अर्हता प्राप्त कर ली हो जो अनुसूची 'चार' के कालम–5 में उल्लेखित है।

स्पष्टीकरण : पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति–वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद में आया है।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :**

(1) पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें पदोन्नति समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग के पद पर/तृतीय वर्ग से वरिष्ठ तृतीय वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिये कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी।

(3) वरिष्ठ तृतीय वर्ग से तृतीय कार्यपालिक वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिये कर्मचारियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदण्ड वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी।

(4) कार्यपालिक तृतीय वर्ग से द्वितीय वर्ग पर पदोन्नति के लिये अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी।

(5) द्वितीय वर्ग से प्रथम वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिये अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियरिटी कम मेरिट) होगी।

(6) प्रथम वर्ग से प्रथम वर्ग के पद पर पदोन्नति के लिये अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदंड योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियरिटी) होगी।

(7) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम–4 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

(8) ऐसी तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी। **तैयार की गई सूची पदोन्नति की समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के लिये अथवा अगली पदोन्नति समिति की बैठक एक वर्ष से पूर्व होने पर अगली पदोन्नति समिति की बैठक तक के लिये वैध होगी।**

(9) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यथास्थिति सेवा के किसी सदस्य का अतिक्रमण प्रस्तावित किया जाता है तो समिति ऐसे प्रस्तावित अतिक्रमण के लिये इसके कारणों का उल्लेख करेगी।

16. **चयन सूची :**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम–4 में दर्शाये गये पदों से अनुसूची–चार के कॉलम–6 में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) सामान्यतः वर्षवार पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जायेगी, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को संसूचना प्राप्त होने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :**

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 (समय समय पर यथा संशोधित) के आधार पर संचालक मंडल के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक की चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **प्रतिनियुक्ति :** प्रतिनियुक्ति, शासन के नियमानुसार की जाएगी।

19. **संविलियन :** संविलियन शासकीय आदेश तथा शासन के नियमानुसार किया जाएगा।

20. **नियमों तथा आदेशों का पालन करने का दायित्व :**

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी इन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा/करेगी और उनका पालन करेगा/करेगी और ऐसे सभी आदेशों और निर्देशों का पालन, अनुपालन और परिपालन करेगा/करेगी, जो समय समय पर उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाए, जिसके अधिकार क्षेत्र अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन उसे तत्समय रखा गया हो। शासन द्वारा समय समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 निगम के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

21. **कर्मचारी निगम के हितों का संवर्धन करेंगे :**

प्रत्येक कर्मचारी निगम की सेवा ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक करेगा/करेगी और वह निगम के हितों के संवर्धन के भरसक प्रयास करेगा/करेगी और प्रत्येक व्यक्ति के साथ, जिसके साथ निगम के कर्मचारी की हैसियत में, उनका सम्पर्क हो, सभी संव्यवहारों में, परस्पर क्रियाओं में सौजन्य प्रदर्शित करेगा/करेगी और उस पर ध्यान देगा/देगी।

22. **राजनीति में भाग लेने तथा निर्वाचन के लिये खड़े होने पर निषेध :**

कोई भी कर्मचारी राजनीति में या किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या विधायी निकाय के निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं होगा।

23. **समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में लेखन/वक्तव्य :**

कोई भी कर्मचारी प्रबंध संचालक की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना समाचार पत्रों/ इलेक्ट्रानिक मीडिया में शासन/निगम की नीतियों एवं अन्य विषयों से संबंधित लेख आदि नहीं लिखेगा या कोई भी ऐसे दस्तावेज/कागज पत्र की जानकारी जो उसकी पदीय हैसियत से उसके अधिकार में हो प्रकाशित नहीं करवाएगा अथवा इस संबंध में वक्तव्य नहीं देगा।

आचरण, अनुशासन और अपील

24. **कर्मचारी की सेवा का विस्तार क्षेत्र :**

जब तक किसी मामले में सुस्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, तब तक निगम का प्रत्येक कर्मचारी पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और वह निगम के कार्य में उसकी सेवा हैसियत और ऐसे स्थान में करेगा/करेगी, जैसे कि उसे समय–समय पर प्रबंध संचालक/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाएं।

25. **कर्मचारी बाहरी नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :**

कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी बाहरी नियोजन या पद चाहे वह वैतनिक हो या अवैतनिक स्वीकार नहीं करेगा/पद के लिये आवेदन नहीं करेगा या प्रयास नहीं करेगा।

26. **बाहरी निकायों के लिये अंशकालिक कार्य :**

कोई भी कर्मचारी प्रबंध संचालक की मंजूरी के बिना किसी भी अशासकीय या शासकीय निकाय या किसी व्यक्ति के लिये अंशकालिक कार्य नहीं करेगा या उसके लिये फीस स्वीकार नहीं करेगा। प्रबंध संचालक केवल आपवादिक मामलों में तभी मंजूरी देगा जब उसका यह समाधान हो जाए, कि इस कार्य के लिये कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई फीस का भुगतान पूर्णतः या अंशतः निगम को किया जाएगा।

27. **उच्च अध्ययन के लिये अनुमति :**

कोई भी कर्मचारी अनुमति के बिना उच्च अध्ययन/अंशकालीन पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा, यदि प्रबंध संचालक की यह राय हो, कि ऐसी अनुमति से निगम के कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह अनुमति दे सकेगा। प्रबंध संचालक जहां कहीं आवश्यक हो, किसी भी समय निगम के हित में अनुमति वापस ले सकेगा।

28. **उच्चतर प्राधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार :**

कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायतों के सिलसिले में प्रबंध संचालक/अध्यक्ष के सिवाय किसी भी उच्चतर प्राधिकारी के साथ सीधा पत्र व्यवहार/पृष्ठांकन नहीं करेगा।

29. **कर्मचारी, अनुमति के बिना कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं रहेंगे या विलम्ब से उपस्थित नहीं होंगे :**

(क) कोई भी कर्मचारी, प्रबंध संचालक से या अपने पर्यवेक्षण अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित नहीं रहेगा और न वह बीमारी व दुर्घटना की स्थिति में ऐसी अनुपस्थिति के तीन दिनों के भीतर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना अनुपस्थित रहेगा, परन्तु अस्थायी अस्वस्थता के मामले में प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण से छूट दे सकेगा।

(ख) यदि कोई कर्मचारी अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों को छोड़, जिनके लिये उसे सन्तोष जनक स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा अवकाश के लिये बिना अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे या अवकाश की अवधि के बाद अनुपस्थित रहे, तो वह ऐसी अनुपस्थिति पर अवकाश की अवधि के परे अनुपस्थित रहने की अवधि के लिये कोई भी वेतन तथा भत्ते आहरित करने का हकदार नहीं होगा, ऐसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति को, जैसा कि प्रबंध संचालक द्वारा निश्चित किया जाए, देय अवकाश या असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि माना जा सकेगा।

(ग) यदि कोई कर्मचारी अनुमति के बिना अपने कर्तव्य पर आदतन विलम्ब से उपस्थित होता हो, तो वह ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा, जैसी शास्ति अधिरोपित करना प्रबंध संचालक द्वारा उचित समझा जाए या प्रबंध संचालक के स्वविवेक से किसी माह में उसके विलम्ब से उपस्थित होने के प्रत्येक तीन दिन के लिये उसका एक आकस्मिक अवकाश समाहित कर लिया जाएगा, परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी को कोई आकस्मिक अवकाश देय न हो तो समाहित की जाने वाली अवकाश अवधि को जैसा प्रबंध संचालक द्वारा निश्चित किया जावे, देय अवकाश या असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि माना जा सकेगा।

30. मुख्यालय से अनुपस्थिति :

कोई भी कर्मचारी प्रबंध संचालक/पर्यवेक्षण अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये बिना अपने मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

31. उपहारों की स्वीकृति :

इस संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधान लागू होंगे।

32. प्रशंसा पत्र आदि स्वीकार करना :

कोई भी कर्मचारी प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी को छोड़, कोई भी अभिनन्दनात्मक या प्रशंसात्मक मानपत्र ग्रहण नहीं करेगा, उसे प्रस्तुत किये गए कोई भी प्रशंसा पत्र स्वीकार नहीं करेगा या उसके सम्मान में आयोजित किसी भी सार्वजनिक सभा या उत्सव में उपस्थिति नहीं होगा।

33. कर्मचारियों द्वारा संघों में सम्मिलित होना :

निगम का कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संघ, संगठन अथवा समूह की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा या उसकी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, जो भारत सरकार/राज्य शासन/निगम द्वारा प्रतिबंधित है।

34. निजी व्यापार या कारोबार :

निगम में कार्यरत कोई भी कर्मचारी स्वयं के या दूसरे के एजेन्ट के रूप में किसी भी वाणिज्यिक कारोबार या धंधे में काम नहीं करेगा, न ही भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य बीमा कम्पनी के बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा तथा न ही किसी संयुक्त पूंजी कम्पनी/फर्म में अंशधारक/हिस्सेदार अथवा प्रबंधन में सम्बद्ध होगा। साथ ही निगम में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी या उनके परिवार का उन पर आश्रित सदस्य किसी भी ऐसी संस्था के साथ वाणिज्यिक सव्यवहार नहीं रखेगा, जिसका निगम के साथ परोक्ष या अपरोक्ष के रूप से वाणिज्यिक/अधिकारिक/प्रशासनिक संबंध हो।

35. स्टॉक, शेयरों आदि में सट्टा लगाना :

कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का सट्टा नहीं लगाएगा, परन्तु इस नियम में किसी बात के होते हुए किसी कर्मचारी पर अपनी स्वयं की निधियों से ऐसी रीति से, जैसी वह आवश्यक समझें, वास्तविक विनियोजन करने से रोक नहीं होगी। साथ ही निगम का कोई भी कर्मचारी किसी भी ऐसी संस्था/कम्पनी/फर्म जिससे पदीय संव्यवहार हो, उनमें किसी भी प्रकार का नियोजन नहीं करेगा।

36. उधार तथा विनियोजन पर प्रतिबंध :

(क) कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई विनियोजन नहीं करेगा और न अपने परिवार के आश्रित किसी सदस्य को ऐसा विनियोजन करने की अनुमति देगा, जिससे कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उसके प्रभावित हो जाने की सम्भावना हो।

(ख) कोई कर्मचारी किसी ऐसे दलाल या अपने अधीनस्थ निगम के किसी ऐसे कर्मचारी या किसी ऐसी फर्म या ऐसे व्यक्ति से, जिसका निगम से लेन–देन हो, पैसे उधार नहीं लेगा या आर्थिक अनुग्रह स्वीकार नहीं करेगा।

37. ऋणग्रस्त कर्मचारी :

(क) जब निगम का कोई कर्मचारी दिवालिया हो या दिवालिया घोषित हो गया हो या जब ऐसे कर्मचारी के वेतन का आधा भाग अक्सर कुर्क कर लिया जाता हो या उसका वेतन दो वर्ष से अधिक अवधि के लिये कुर्की के अधीन हो या ऐसी रकम के लिये कुर्क किया जाता हो, जिसे सामान्य परिस्थितियों में उसके व्यक्तिगत स्त्रोंतों पर ध्यान देने पर ऐसा प्रतीत हो, कि अपरिहार्य चालू व्ययों को देखते हुए, दो वर्षो की अवधि में वह चुकाया नहीं जा सकता हो, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।

(ख) जब किसी कर्मचारी के वेतन का आधा भाग कुर्क किया जाए, तो प्रतिवेदन में यह दर्शाया जाएगा, कि उसके वेतन से ऋण का क्या अनुपात है तथा उससे कहां तक निगम के कर्मचारी की दक्षता पर आंच आएगी, क्या ऋणी की स्थिति असाध्य है, क्या मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उसे उस समय, उस पद पर, जिस समय मामला जानकारी में आया था, निगम के किसी अन्य पद पर रखना वांछनीय होगा।

(ग) इस नियम के अधीन प्रत्येक मामले में यह सिद्ध करने का भार ऋणी पर होगा, कि ऋणग्रस्तता उन परिस्थितियों का परिणाम है, जिनका सामान्य प्रयास द्वारा पूर्वानुमान लगाना ऋणी के लिये सम्भव नहीं था या जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और वह ऋणग्रस्तता अपव्यय या फिजुलखर्ची का परिणाम नहीं थी।

38. ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया कर्मचारी :

ऐसे कर्मचारी को, जिसे ऋण या आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है तथा उसे 48 घंटे तक निरूद्ध रखा जाता है, तो उसे उसकी गिरफ्तारी की तारीख से निलंबित माना जाएगा तथा किसी निलंबित कर्मचारी को स्वीकार्य भुगतान उसे तब तक अनुमत होंगे, जब तक कि उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त न हो जाए, उसके वेतन और भत्ते के मामले परिस्थितियों के अनुसार तथा इस कार्यवाही के निर्णय के प्रकाश में समायोजित किये जाएंगे, कि क्या उनकी अनुपस्थिति को कर्तव्य अवधि या छुट्टी अवधि या निलंबन में व्यतीत की गई अवधि के रूप में परिगणित किया जाए। सम्पूर्ण वेतन और भत्ते केवल उसी स्थिति में दिये जाएंगे, जबकि कर्मचारी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो और उसे अनुपस्थिति की अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित माना गया हो और जिसमें से वह अवधि घटा दी जाएगी, जो कर्मचारी ने वास्तव में कारावास में बिताई हो, किसी कर्मचारी को, किसी अपराध में सिद्ध दोष ठहराया गया हो, बर्खास्त कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम में अभिव्यक्ति ''कार्रवाई की समाप्ति'' से तात्पर्य उस न्यायालय के निर्णय से है, जिसने मामले का अन्तिम रूप से निपटारा कर दिया हो।

निगम के ऐसे कर्मचारी को, जिसे जेल भेजा गया हो या आपराधिक आरोप में सिद्धदोष ठहराया गया हो, उस तारीख से जिस तारीख को न्यायालय द्वारा उसे सिद्धदोष ठहराया गया हो, बर्खास्त करने की छूट होगी।

39. **शास्तियाँ :**

कोई कर्मचारी निगम के नियमों को भंग करे या जो उदासीनता, अदक्षता प्रदर्शित करे या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करे, जो निगम के हितों या प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो या उसके अनुदेशों के विपरीत हो या जो अनुशासन भंग करे या जो दोषी हो या जो दूराचरण या दुर्व्यवहार का कोई कार्य करे, ऐसे कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान लागू होंगे।

<u>अपील</u>

40. **अपील करने का अधिकार :**

(1) किसी कर्मचारी को किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा पारित ऐसे किसी आदेश के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) कोई भी अपील उस आदेश के प्राप्त होने के 60 दिनों के बाद नहीं की जाएगी, जिसके विरूद्ध अपील की जानी है, किन्तु अपीलीय अधिकारी विलम्ब से प्राप्त अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

41. **अपीलीय प्राधिकारी :**

अपील निम्नलिखित को प्रस्तुत की जाएगी :–

(क) किसी ऐसे अन्य अधिकारी, जो इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता हो, द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरूद्ध प्रबंध संचालक को तथा

(ख) प्रबंध संचालक के आदेशों के विरूद्ध अध्यक्ष को,

(ग) अध्यक्ष के आदेशों के विरूद्ध संचालक मंडल को।

संचालक मंडल द्वारा पारित किसी मूल आदेश के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन के लिये आवेदन ऐसे आदेशों के प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा संचालक मंडल के पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत कराया जा सकेगा।

42. **अपील में निम्नलिखित शर्ते पूरी होनी चाहिये :**

प्रत्येक अपील में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन होना चाहिये :–

(क) इसमें नियम 40(1) की अपेक्षा का पालन किया गया हो ।

(ख) यह हिन्दी में लिखी जाएगी।

(ग) इसमें नम्र तथा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जाएगा तथा अनावश्यक या निरर्थक शब्दाडम्बर से बचा जाएगा।

(घ) इसमें सभी तथ्यात्मक विवरण एवं उस पर आधारित तर्क होंगे तथा वह अपने आप में पूर्ण होगी।

(ड.) इसमें मांगी गई राहत का उल्लेख होगा।

(च) यह उचित माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

43. अपील कब रोकी जा सकेगी :

किसी अपील को यथा स्थिति प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक द्वारा रोका जा सकेगा यदि :–

(क) इसमें नियम 40(1) की अपेक्षा का पालन न किया गया हो।

(ख) यह स्पष्ट न हो या बोधगम्य न हो।

(ग) यह ऐसे मामलों में की गई हो, जिसका व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी से संबंध न हो।

(घ) इसे उस प्राधिकारी द्वारा जिसे पहले अपील की गई हो, रद्द कर दिया गया हो, दुबारा की गई हो तथा यथास्थिति प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक की राय में अपील किसी भी प्रकार परिस्थितियों के उन नए मुद्दों को उद्घाटित नहीं करती, जिसके आधार पर दुबारा विचार करने के लिये उसे प्रस्तुत किया गया हो। परन्तु यह कि, तब इस खण्ड के अधीन कोई अपील रोक ली जाए, तो प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक उन कारणों का एक विवरण, जिनके आधार पर अपील रोकी गई हो, अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(ड.) इसे ऐसे प्राधिकारी को सम्बोधित किया गया हो, जिसे इन नियमों के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती।

44. अपील रोक रखने का आधार, आवेदक को सूचित किये जाएंगे :

प्रत्येक ऐसे मामले में, जिनमें अपील रोक ली जाए, अपील को रोकने वाला प्राधिकारी अपील रोकने के तथ्य तथा उसे रोकने के कारण, आवेदक को सूचित करेगा।

45. अपील प्रेषण सहित अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जानी चाहिये :

अपील जो नियम 43 के अधीन न रोकी गई हो, यथाशीघ्र, यथास्थिति प्रभारी अधिकारी या प्रबंध संचालक की टिप्पणी सहित अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

46. अपील रोकने के आदेश के विरूद्ध अपील :

नियम 43 के अन्तर्गत रोकी गई अपील के आदेश के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

47. **अपील संचालकों या राज्य शासन को सम्बोधित नहीं की जाएगी ।**

अपीलें व्यक्तिगत रूप में मंत्री या राज्य शासन के अधिकारियों या संचालक मंडल के संचालकों को सम्बोधित नहीं की जाएगी तथा ऐसी कोई कार्यवाही अनुशासन भंग मानी जाएगी।

48. **संयुक्त याचिकाएं :**

(1) किसी मान्यता प्राप्त संघ द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी संयुक्त याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा यदि :–

(क) इसका संबंध किसी ऐसे विषय से हो, जिस पर आदेश पारित करने के लिये प्रबंध संचालक प्राधिकृत हों, तथा निवारण के लिये उसे कोई आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो

(ख) इसका संबंध किसी ऐसे मामले से हो, जिसके निवारण के संबंध में किसी नियम या निगम द्वारा जारी किसी अनुदेश के अधीन कोई विशिष्ट प्रकिया विहित की गई हो या

(ग) इसका संबंध किसी व्यक्ति से हो तथा उसके द्वारा इसे प्रस्तुत न किया गया हो।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी संयुक्त याचिकाएं, जो किसी मान्यता प्राप्त संघ के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हो, विचारणीय नहीं होगी।

वेतन भत्ते तथा अन्य रियायतें

49. **वेतन तथा भत्ते :**

वेतन – निगम के अधीन विभिन्न पदों से संलग्न वेतनमान वही होंगे, जो शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप में मान्य किये गये हैं।

भत्ते – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय समय पर जारी अनुदेशों के तहत् देय समस्त भत्ते सी.एम.डी.सी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

50. **कब प्रोदभूत तथा भुगतान योग्य होंगे :**

इन नियमों के उपबंधों के अध्ययीन वेतन तथा भत्ते किसी कर्मचारी की सेवा के प्रारंभ से प्रोदभूत होंगे तथा माह के अंतिम कार्य दिवस को भुगतान योग्य होंगे।

51. **कब बन्द होंगे :**

सेवा में न रहने पर किसी कर्मचारी के वेतन और भत्ते बन्द हो जायेंगे । निगम की सेवा से किसी कर्मचारी के बरखास्त कर दिये जाने के मामले में वे उसकी बरखास्तगी की तारीख से बन्द हो जाएंगे । सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के मामले में मृत्यु होने की अगली तारीख से बन्द हो जाएंगे।

52. **माह के किसी भाग के लिये कब से भुगतान नहीं किया जाएगा :**

किसी ऐसे कर्मचारी को जो एक माह की समुचित सूचना के बगैर अपनी सेवा छोड़ देता है या समाप्त कर देता है, किसी माह के किसी भाग के लिये वेतन तथा भत्ते का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे प्रबंध संचालक द्वारा ऐसी सूचना से छूट न दे दी गई हो।

53. **सभी कर्मचारी श्रेणीबद्ध किये जाएंगे :**

प्रत्येक कर्मचारी, जिसे उसकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद स्थाई पद होने पर नियमित कर दिया गया हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणी में से कोई एक पद धारण करेगा, जो उसकी मूल श्रेणी मानी जाएगी तथा :–

(क) निलम्बनाधीन, या

(ख) अवकाश या प्रतिनियुक्ति, या

(ग) कोई अस्थायी पद धारण करने या अन्य श्रेणी में स्थानापन्न कार्य समाप्त होने की स्थिति में उसी श्रेणी में वापस होगा।

54. **स्थानान्तरण पर कर्मचारी :**

जहां कोई कर्मचारी एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित कर दिया जाए, तो वह पुराने पद का अपना प्रभार सौंपने की तारीख तथा नए पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख के बीच की किसी अंतरावधि के दौरान पुराने या नए पद के वेतन और भत्ते, जो भी कम हो, आहरित करेगा।

55. **भत्तों की स्वीकार्यता :**

भत्तों का भुगतान, जहां तक वे स्वीकार्य हों, केवल उन्हीं कर्मचारियों को किया जाएगा, जो उस समय शर्तो को पूरा करते हों।

56. **व्यक्तिगत वेतन :**

परिवार नियोजन आपरेशन के लिये व्यक्तिगत वेतन प्रबंध संचालक द्वारा राज्य शासन के नियमों के अनुसार ही मंजूर किया जा सकेगा।

सामान्य सेवा नियम तथा शर्तें

57. **अवकाश :**

निगम के कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश सहित अन्य अवकाश राज्य शासन के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

58. **अर्जित अवकाश का समर्पण तथा नगदीकरण :**

निगम का कर्मचारी राज्य शासन के नियमों तथा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अर्जित अवकाश का समर्पण तथा उनका नगदीकरण करवा सकेगा।

59. **उपादान एवं कर्मचारी भविष्य निधि :**

उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान अनुसार एवं कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 के अनुसार होगा ।

60. **समूह बीमा योजना :**

भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह बीमा योजना के अन्तर्गत निगम के सभी कर्मचारी आते हैं। यह लाभ निगम के कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को शासन द्वारा निर्धारित सीमा तक लाभ प्राप्त होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में यह राशि उनके पैतृक विभाग में वेतन से कटवाए जा रहे कटौत्रे के अनुसार राज्य शासन के नियमों के अनुकूल होगी।

61. **परिवीक्षा :**

सेवा में सीधी भर्ती से भर्ती किये गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा अवधि में किसी कदाचरण के लिये दोषी पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा अथवा सेवा समाप्त किया जा सकेगा।

62. **नियमितीकरण :**

परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात् परिवीक्षाधीन कर्मचारी को निगम की सेवा में नियमित किया जाएगा।

63. **दैनिक/तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण :**

दैनिक/तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण शासन के नियमानुसार संचालक मंडल के अनुमोदन के उपरान्त प्रबंध संचालक द्वारा किया जाएगा।

64. **निर्वचन :**

यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो, उसे संचालक मंडल को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

65. **शिथिलीकरण :**

इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, कि वह राज्य शासन/बोर्ड/निगम की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों से उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

66. **निरसन तथा व्यावृत्ति :**

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

इन नियमों के कोई भी प्रावधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबन्ध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेंगे।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निगम का स्वीकृत संशोधित सेटअप "सेवा एवं भर्ती नियम 2020" का भाग समझा जाएगा। सेवा एवं भर्ती नियम 2020 में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, उनके संबंध में शासन के नियम लागू होंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक मंडल का निर्णय सर्वोपरि एवं यथावत् लागू/मान्य किया जावेगा।

——000——

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग

अनुसूची—एक (नियम—5 देखिये)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान, लेवल तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (लेवल)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अध्यक्ष	1	प्रथम श्रेणी	—	शासन द्वारा निर्धारित
2	प्रबंध संचालक	1	प्रथम श्रेणी	—	संवर्ग वेतनमान
3	मुख्य महाप्रबंधक	1	प्रथम श्रेणी	16	—
4	महाप्रबंधक (खान)	1	प्रथम श्रेणी	15	—
5	महाप्रबंधक (भौमिकी)	1	प्रथम श्रेणी	15	—
6	उप महाप्रबंधक (खान)	1	प्रथम श्रेणी	14	—
7	उप महाप्रबंधक (भौमिकी)	1	प्रथम श्रेणी	14	—
8	सहायक महाप्रबंधक (खान)	2	प्रथम श्रेणी	13	—
9	सहायक महाप्रबंधक (भौमिकी)	4	प्रथम श्रेणी	13	1 पद सांख्येत्तर
10	सहायक महाप्रबंधक (वित्त / लेखा)	2	प्रथम श्रेणी	13	महाप्रबंधक (वित्त) का 01 पद समर्पित करते हुए सहायक महाप्रबंधक (वित्त / लेखा) 01 पद छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग से प्रति नियुक्ति पर
11	कम्पनी सचिव	1	प्रथम श्रेणी	13	—
12	प्रबंधक (खान) / माइंस फोरमेन / माइनिंग इंजीनियर	10	द्वितीय श्रेणी	12	—
13	प्रबंधक (वित्त / लेखा)	1	द्वितीय श्रेणी	12	पदोन्नति पद
14	प्रबंधक (प्रशासन)	1	द्वितीय श्रेणी	12	—
15	सहायक भौमिकीविद्	6	द्वितीय श्रेणी	12	—
16	सर्वे आफिसर	1	द्वितीय श्रेणी	12	—
17	प्रबंधक (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजी.)	2	द्वितीय श्रेणी	12	सीधी भर्ती
18	सहायक प्रबंधक (भौमिकी)	4	तृतीय श्रेणी	10	—
19	सहायक प्रबंधक (प्रशासन) (सहा. अनुभाग अधिकारी)	3	तृतीय श्रेणी	10	—

20	सहायक प्रबंधक (विपणन)	2	तृतीय श्रेणी	10	सीधी भर्ती
21	सहायक प्रबंधक (सर्वे)	2	तृतीय श्रेणी	10	–
22	सहायक प्रबंधक (वित्त)	1	तृतीय श्रेणी	10	पदोन्नति पद
23	सहायक प्रबंधक (खान)	15	तृतीय श्रेणी	10	–
24	जूनियर फोरमेन	12	तृतीय श्रेणी	9	–
25	उप अभियंता	1	तृतीय श्रेणी	10	01 पद डाइंग केडर
26	शीघ्रलेखक ग्रेड–I	1	तृतीय श्रेणी	10	–
27	शीघ्रलेखक ग्रेड–II	2	तृतीय श्रेणी	9	–
28	शीघ्रलेखक ग्रेड–III	4	तृतीय श्रेणी	7	–
29	स्टेनो टायपिस्ट	4	तृतीय श्रेणी	4	–
30	सहायक ग्रेड–I	6	तृतीय श्रेणी	7	–
31	सहायक ग्रेड–II	13	तृतीय श्रेणी	6	–
32	सहायक ग्रेड–III	23	तृतीय श्रेणी	4	–
33	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	तृतीय श्रेणी	6	–
34	वरिष्ठ लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	9	–
35	सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी	2	तृतीय श्रेणी	9	02 पद छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति
36	लेखापाल ग्रेड–1	2	तृतीय श्रेणी	8	–
37	लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	4	–
38	सर्वेयर	1	तृतीय श्रेणी	7	–
39	मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समेन)	2	तृतीय श्रेणी	8	–
40	ट्रेसर	1	तृतीय श्रेणी	4	–
41	कम्पाउण्डर	2	तृतीय श्रेणी	6	2 पद डाईंग केडर
42	वरिष्ठ माईनिंग मेट	4	तृतीय श्रेणी	7	–
43	माईनिंग मेट	21	तृतीय श्रेणी	6	–
44	वरिष्ठ ब्लास्टर	6	तृतीय श्रेणी	6	–
45	ब्लास्टर	9	तृतीय श्रेणी	5	–
46	जुनियर सुपरवाइजर	38	तृतीय श्रेणी	4	28 पद डाईंग केडर
47	पम्प ऑपरेटर	1	तृतीय श्रेणी	4	1 पद डाईंग केडर
48	वाहन चालक	6	तृतीय श्रेणी	4	–
49	फिल्ड असिस्टेंट	8	तृतीय श्रेणी	4	6 पद डाईंग केडर
50	मेट हेल्पर	3	तृतीय श्रेणी	4	2 पद डाईंग केडर
51	ब्लास्टर हेल्पर	4	तृतीय श्रेणी	4	3 पद डाईंग केडर
52	हेल्पर	4	तृतीय श्रेणी	4	1 पद डाईंग केडर

53	ऑफिस हेल्पर	1	चतुर्थ श्रेणी	1	1 पद डाईंग केडर
54	ड्रीलमेन	1	चतुर्थ श्रेणी	1	1 पद डाईंग केडर
55	भृत्य	33	चतुर्थ श्रेणी	1	वाटर केरियर के 03 पद डाइंग केडर
56	चौकीदार	30	चतुर्थ श्रेणी	1	15 पद डाईंग केडर
57	कंसल्टेंट	1	—		कंसल्टेंट का 01 पद महाप्रबंधक स्तर का होगा। यह पद संविदा नियुक्ति का पद होगा एवं आवश्यकता अनुरूप कोल इंडिया जैसी संस्थाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा कार्यरत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जावेगा।
	योग :—	314			

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग

अनुसूची—दो (नियम—6 दो)
भर्ती का तरीका

स.क.	संस्था का नाम	अनु. कमांक	पदों का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
					सीधी भर्ती द्वारा नियम—6 (क)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम—6 (ख)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के प्रतिनियुक्ति, संविलियन अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियम—6 (ग) (घ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	1	अध्यक्ष	1	शासन द्वारा निर्धारित		
		2	प्रबंध संचालक	1	शासन द्वारा निर्धारित		
		3	मुख्य महाप्रबंधक	1	—	100	—
		4	महा प्रबंधक (खान)	1	—	100	—
		5	महा प्रबंधक (भौमिकी)	1	—	100	—
		6	उप महाप्रबंधक (खान)	1	—	100	—
		7	उप महाप्रबंधक (भौमिकी)	1	—	100	—
		8	सहा. महाप्रबंधक (खान)	2	—	100	—
		9	सहा. महाप्रबंधक (भौमिकी)	4	—	100	1 पद सांख्येत्तर
		10	सहा. महाप्रबंधक (वित्त/लेखा)	2	—	100	1 पद छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
		11	कम्पनी सचिव	1	100	—	—
		12	प्रबंधक (खान)/माइन्स फोरमेन/माइनिंग इंजीनियर	10	60	40	पदोन्नति के लिये उम्मीदवार न मिलने की दशा में सीधी भर्ती/संविदा से भरा जावेगा
		13	प्रबंधक (वित्त/लेखा)	1	—	100	—"—
		14	प्रबंधक (प्रशासन)	1	—	100	—"—
		15	सहायक भौमिकीविद्	6	60	40	—"—
		16	सर्वे आफिसर	1	100	—	—

		17	प्रबंधक (मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजी.)	2	100	–	–
		18	सहायक प्रबंधक (भौमिकी)	4	100	–	–
		19	सहायक प्रबंधक (प्रशासन) (सहा. अनुभाग अधिकारी)	3	–	100	–
		20	सहायक प्रबंधक (विपणन)	2	100	–	सीधी भर्ती
		21	सहायक प्रबंधक (सर्वे)	2	60	40	पदोन्नति के लिये उम्मीदवार न मिलने की दशा में सीधी भर्ती / संविदा से भरा जावेगा
		22	सहायक प्रबंधक (वित्त)	1	–	100	–"–
		23	सहायक प्रबंधक (खान)	15	60	40	–"–
		24	जूनियर फोरमेन	12	75	25	–"–
		25	उप अभियंता	1	100	–	1 पद डाइंग केडर
		26	शीघ्रलेखक ग्रेड–I	1	–	100	–
		27	शीघ्रलेखक ग्रेड–II ☆	2	25	75	–
		28	शीघ्रलेखक ग्रेड–III	4	100	–	–
		29	स्टेनो टायपिस्ट	4	100	–	–
		30	सहायक ग्रेड–I	6	–	100	–
		31	सहायक ग्रेड–II	13	–	100	–
		32	सहायक ग्रेड–III	23	75	25	–
		33	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	100	–	–
		34	वरिष्ठ लेखापाल	1	–	100	–
		35	सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी	2	–	–	2 पद छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से प्रतिनियुक्ति
		36	लेखापाल ग्रेड–1	2	50	50	–
		37	लेखापाल	1	100	–	–
		38	सर्वेयर	1	100	–	–
		39	मानचित्रकार (ड्राफ्ट्समेन)	2	100	–	–
		40	ट्रेसर	1	100	–	–
		41	कम्पाउण्डर	2	100	–	2 पद डाइंग केडर

		42	वरिष्ठ माईनिंग मेट	4	75	25	—
		43	माईनिंग मेट	21	100	—	—
		44	वरिष्ठ ब्लास्टर	6	—	100	—
		45	ब्लास्टर	9	100	—	—
		46	जुनियर सुपरवाइजर	38	100	—	28 पद डाइंग केडर
		47	पम्प ऑपरेटर	1	100	—	1 पद डाइंग केडर
		48	वाहन चालक	6	100	—	—
		49	फिल्ड असिस्टेंट	8	100	—	6 पद डाइंग केडर
		50	मेट हेल्पर	3	100	—	2 पद डाइंग केडर
		51	ब्लास्टर हेल्पर	4	100	—	3 पद डाइंग केडर
		52	हेल्पर	4	100	—	1 पद डाइंग केडर
		53	ऑफिस हेल्पर	1	100	—	1 पद डाइंग केडर
		54	ड्रीलमेन	1	100	—	1 पद डाइंग केडर
		55	भृत्य	33	100	—	वाटर केरियर के 3 पद डाइंग केडर
		56	चौकीदार	30	100	—	15 पद डाइंग केडर
		57	कंसल्टेंट	1	—	—	कंसल्टेंट का 01 पद महाप्रबंधक स्तर का होगा। यह पद संविदा नियुक्ति का पद होगा एवं आवश्यकता अनुरूप कोल इंडिया जैसी संस्थाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों अथवा कार्यरत अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जावेगा।

☆ चूंकि वर्तमान में इस पद पर कोई भी कर्मचारी पदस्थ नहीं है तथा वर्तमान में सी.एम.डी.सी. में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए इस पद को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है। भविष्य में इस पद को नियमानुसार पदोन्नति से भरा जाएगा।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग
अनुसूची–तीन (नियम–8)
सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा, अर्हताएं एवं चयन समिति का गठन

क्र.	संस्था का नाम	अनु. कमांक	सेवा पदों की कुल संख्या	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	विभागीय चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1	सहा. महाप्रबंधक (वि./ले.)	21	35	(1) सी.ए. (2) किसी निजी अथवा शासकीय संस्थान/शासकीय उपकम में लेखा/ऑडिट कार्यो का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें अधिक अनुभव तथा समान प्रकार के कार्यक्षेत्र (खनन कम्पनियों) में कार्य करने का अनुभव होगा।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति
		2	कम्पनी सचिव	21	35	(1) ग्रेज्युएट एंड मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेकेटरीज आफ इंडिया (2) संबंधित क्षेत्र में किसी निजी/शासकीय संस्थान/शासकीय उपकम में कम से कम 03 वर्ष का कार्य करने का अनुभव (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें अधिक अनुभव तथा समान प्रकार के कार्यक्षेत्र (खनन कम्पनियों) में कार्य करने का अनुभव होगा।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति
		3	प्रबंधक (खान)	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत् खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 05 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति

		4	सहायक भौमिकीविद्	21	35	(1) भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर या एम.टेक, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) किसी शासकीय संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम/निजी संस्थान में न्यूनतम 05 वर्षो का कार्य का अनुभव होना चाहिए। (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें कम्प्यूटर शाफ्टवेयर द्वारा ज्योलाजिकल रिपोर्ट, माईन माडलिंग तथा माईनिंग प्लान एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे आदि तैयार करने का ज्ञान हो।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति
		5	सर्वे आफिसर	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग/सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री,/ सिविल अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम से कम 60 प्रतिशत औसत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) निदेशक खान सुरक्षा द्वारा जारी सर्वेयर सर्टिफिकेट (Restricted) (3) किसी शासकीय/निजी संस्थान के मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइंस में सर्वे कार्य का कम से कम 05 वर्षो का कार्य अनुभव।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति
		6	प्रबंधक (मेकेनिकल)	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एम.टेक में डिग्री प्राप्त किया हो। (2) मेकेनाईज्ड/सेमीमेकेनाईज्ड मेटल माइन्स में न्यूनतम 5 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिये । (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में प्रबंधक मेकेनिकल के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति
		7	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल इंजी.)	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एम.टेक में डिग्री प्राप्त किया हो। (2) मेकेनाईज्ड/सेमीमेकेनाईज्ड मेटल माइन्स में न्यूनतम 5 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिये (3) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में प्रबंधक इलेक्ट्रिकल इंजी. के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।	नियम–2(12)(अ) के अनुसार गठित समिति
		8	सहा. प्रबंधक (भौमिकी)	21	35	भू. विज्ञान में स्नातकोत्तर, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति

		9	सहा. प्रबंधक (विपणन)	21	35	(1) एम.कॉम अथवा एम.बी.ए. में कम से कम 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण । (2) एम.बी.ए. मार्केटिंग को वरीयता।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		10	सहा. प्रबंधक (सर्वे)	21	35	(1) माईनिंग में डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग आई.टी.आई. से सर्वेयर ट्रेड में उत्तीर्ण । (2) डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से कम्पीटेन्सी सर्वेयर सर्टिफिकेट धारक हो । (3) 3 वर्ष का कार्यानुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		11	सहा. प्रबंधक (खान)	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया हो। (2) मेटालिफेरस माइन्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत् खान सुरक्षा महा निदेशालय द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड मेटल माईंस में न्यूनतम 02 वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। (4) अधिक उम्मीदवार होने पर उन उम्मीदवारों को चयन में वरीयता होगी जिन्हें मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड माइन्स में सहा. खान प्रबंधक के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		12	जुनि. फोरमेन	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से माईनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी फोरमेन सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		13	उप अभियंता	21	35	(1) शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा कम से कम 60 प्रतिशत औसत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो। (2) डिप्लोमा धारक होने की स्थिति में किसी शासकीय अथवा निजी संस्थान में कम से कम 05 वर्ष का कार्य का अनुभव हो।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		14	शीघ्रलेखक–ग्रेड III	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्र लेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से –	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति

						(क) शीघ्रलेखक हिन्दी के लिये :– हिन्दी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ख) शीघ्रलेखक अंग्रेजी के लिये :– अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (ग) द्विभाषीय शीघ्रलेखक के लिये :– ऊपर खण्ड क तथा ख में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
		15	स्टेनो टायपिस्ट	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		16	सहायक ग्रेड–III (नि.श्रे.लि.)	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति

Upendra Kumar

		17	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18	35	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में ड़ाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		18	लेखापाल ग्रेड–I	18	35	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.कॉम, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो । (2) कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा (3) किसी शासकीय/निजी संस्थान में लेखा/वित्त संबंधी कार्य करने का 3 वर्ष का कार्य अनुभव।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		19	लेखापाल	18	35	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.कॉम, जिसमें कम से कम 60 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण हो । (2) कम्प्यूटर में एक वर्ष का डिप्लोमा। (3) लेखा संबंधी कार्य करने का अनुभव होने पर वरीयता	नियम–2(12)(ब के अनुसार गठित समिति
		20	सर्वेयर	18	35	(1) खनिकर्म/सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा आई.टी.आई. से सर्वेयर ट्रेड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र धारक (2) निदेशक खान सुरक्षा द्वारा जारी सर्वेयर सर्टिफिकेट (Restricted) । (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड, कोल /मेटल माइन्स में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		21	ड्राफ्ट्समेन (मानचित्रकार)	18	30	वास्तुकला में डिप्लोमा या आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		22	ट्रेसर	18	30	ड्राईंग विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण या आई.टी.आई. से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र धारक।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		23	माईनिंग मेट	18	30	(1) माईनिंग/माइनिंग एवं माईन सर्वेइंग में डिप्लोमा । (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी माईनिंग मेट सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक हो। (3) अधिक उम्मीदवार होने पर मेकेनाईज्ड/सेमी मेकेनाईज्ड खान में कार्य के अनुभवी उम्मदवारों को वरीयता होगी।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति

		24	ब्लास्टर	18	30	(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। (2) खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी ब्लास्टर सर्टिफिकेट (Restricted) धारक। (3) मेकेनाइज्ड/सेमी मेकेनाइज्ड माइन्स में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		25	जुनि. सुपरवाइजर	18	30	(1) हायर सेकेण्डरी /स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी शासकीय/निजी संस्थान में सुपरविजन कार्य करने का 02 वर्ष कार्य अनुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		26	पम्प ऑपरेटर	18	30	(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष । (2) किसी शासकीय/निजी संस्थान में 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		27	वाहन चालक	18	35	(1) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (2) हल्के वाहनों के लाईसेन्स के साथ किसी शासकीय/शासकीय उपक्रम में वाहन चलाने का कम से कम 05 वर्ष का कार्य अनुभव (3) संस्था में पूर्व से कार्यरत को वरीयता ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		28	फिल्ड असिस्टेंट	18	35	(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष । (2) किसी शासकीय/निजी संस्थान में 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		29	मेट हेल्पर	18	35	(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष । (2) किसी शासकीय/निजी संस्थान में 02 वर्ष खान में कार्य करने का अनुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		30	ब्लास्टर हेल्पर	18	35	(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष । (2) किसी शासकीय/निजी संस्थान में ब्लास्टिंग से संबंधित कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव ।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		31	हेल्पर	18	35	(1) हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (2) खान् में मददगार कार्य का 02 वर्ष का अनुभव।	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		32	चौकीदार/भृत्य	18	35	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		33	ड्रीलमेन	18	35	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		34	ऑफिस हेल्पर	18	35	8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	नियम–2(12)(ब) के अनुसार गठित समिति
		35	कन्सलटेन्ट	—	—	कन्सलटेन्ट का 01 पद महाप्रबंधक स्तर का होगा, यह पद संविदा नियुक्ति का पद होगा एवं आवश्यकता अनुरूप कोल इंडिया जैसे संस्थाओं से सेवा निवृत्त अधिकारियों अथवा कार्यरत् अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जाएगा।	—

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग

अनुसूची–चार [नियम–14 (1) एवं नियम–16(1) देखिये]

पदोन्नति के लिये आवश्यक अर्हताएं एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

क.	संस्था का नाम	अनु. क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	1	महाप्रबंधक (खान, भौमिकी)	**मुख्य महाप्रबंधक**	05 वर्ष	नियम–2(13)(अ) के अनुसार गठित समिति
		2	उप महाप्रबंधक (खान)	**महाप्रबंधक (खान)**	05 वर्ष	
		3	उप महाप्रबंधक (भौमिकी)	महाप्रबंधक (भौमिकी)	05 वर्ष	
		4	सहा. महाप्रबंधक (भौमिकी)	उप महाप्रबंधक (भौमिकी)	05 वर्ष	
		5	सहा. महाप्रबंधक (खान)	उप महाप्रबंधक (खान)	05 वर्ष	
		6	प्रबंधक (खान)/माईन्स फोरमेन/ माईनिंग इजीनियर	**सहा.महाप्रबंधक (खान)**	05 वर्ष	
		7	सहा. भौमिकीविद्	सहा. महाप्रबंधक (भौमिकी)	05 वर्ष	
		8	सहा.प्रबंधक (प्रशा.)/सहा.अनु.अधिकारी	**प्रबंधक (प्रशासन)**	05 वर्ष	नियम–2(13)(ब) के अनुसार गठित समिति
		9	सहा. प्रबंधक (भौमिकी)	सहायक भौमिकीविद्	05 वर्ष	
		10	सहा. प्रबंधक (खान)	प्रबंधक (खान)	05 वर्ष	
		11	सहा. प्रबंधक (वित्त)/वरिष्ठ लेखापाल	**प्रबंधक (वित्त/लेखा)**	05 वर्ष	
		12	जुनियर फोरमेन	**सहायक प्रबंधक (खान)**	05 वर्ष	
		13	शीघ्रलेखक ग्रेड–II	शीघ्रलेखक ग्रेड–I	05 वर्ष	
		14	शीघ्रलेखक ग्रेड–III	शीघ्रलेखक ग्रेड–II	05 वर्ष	
		15	स्टेनो टायपिस्ट	स्टेनोग्राफर ग्रेड–III	07 वर्ष	
		16	सहायक ग्रेड–I	सहा. प्रबंधक (प्रशा.)	05 वर्ष	
		17	सहायक ग्रेड–II	सहायक ग्रेड–I	05 वर्ष	
		18	सहायक ग्रेड–III	सहायक ग्रेड–II	08 वर्ष	
		19	लेखापाल ग्रेड–I	**वरिष्ठ लेखापाल**	07 वर्ष	
		20	लेखापाल	लेखापाल ग्रेड–I	08 वर्ष	

Upendra Kumar

		21	सहायक प्रबंधक (सर्वे)	सर्वे ऑफिसर	07 वर्ष	
		22	सर्वेयर	सहायक प्रबंधक (सर्वे)	10 वर्ष	
		23	माईनिंग मेट	**वरिष्ठ माईनिंग मेट**	10 वर्ष	
		24	ब्लास्टर	**वरिष्ठ ब्लास्टर**	07 वर्ष	
		25	भृत्य/चौकीदार	सहायक ग्रेड–III के कुल स्वीकृत पद का 25 प्रतिशत	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी/10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा 05 वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर	

टीप :–(1) प्रबंधक (खान) संवर्ग से सहायक महाप्रबंधक (खान), उप महाप्रबंधक (खान), महाप्रबंधक (खान), मुख्य महाप्रबंधक के पदों पर पदोन्नति के लिये माईनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ मेटलीफेरस माईन्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के तहत् खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी प्रथम श्रेणी खान प्रबंधक सक्षमता प्रमाण पत्र (Restricted) धारक होने पर ही पदोन्नति की अर्हता/पात्रता होगी।

(2) स्वीकृत सेट–अप में मुख्य महाप्रबंधक के एकल पद पर पदोन्नति हेतु महाप्रबंधक (खान)/महाप्रबंधक (भौमिकी) संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी को पात्रता होगी।

(3) स्वीकृत सेटअप अनुसार सी.एम.डी.सी. में रिक्त/स्वीकृत एकल पदों को भरने हेतु पात्रता की कालावधि (अनुसूची–4 के कॉलम–6 में उल्लेखित) को शिथिल करने का अधिकार संचालक मंडल की अनुमति से प्रबंध संचालक को होगा।

(4) संचालक मंडल की 68वीं बैठक दिनांक 30.03.2021 में पारित निर्णय :– सेवा एवं भर्ती नियम, 2014 यथा संशोधित 2020 की अनुसूची–4 में उल्लेखित पात्रता अवधि 05 वर्ष को 03 वर्ष केवल उन्हीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए किया जाता है, जिनकी सेवा अवधि 03 वर्ष या उससे कम शेष है। यह लाभ केवल 01 बार (One Time Relaxation) के लिये होगा।

———0000———